भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES

(137)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल म.प्र.

निगरानी क्रं-................/18

राकेश लोधी उर्फ बबलू कुमार निगरानी-3882/2018/रायसेन/ 28.5.18
आयु वयस्क आ.स्व.बल्देव प्रसाद लोधी
कृषक ग्राम बारला, तहसील व जिला रायसेन
हाल निवासी-ग्राम सेमराकलां तहसील हुजुर
जिला भोपाल .... निगरानीकर्ता

(172)

विरुद्ध

आयुक्त कार्यालय भोपाल से दिनांक-28/5/18 को केम्प में प्रस्तुत 28/5/18

1. शकुन बाई लोधी आयु वयस्क पत्नि स्व.वीरेन्द्र कुमार लोधी निवासी-श्याम नगर, बेगमगंज जिला रायसेन म.प्र.
2. संतोष कुमार आयु वयस्क आत्मज श्री प्रीतम लोधी निवासी-वार्ड नं.-4, रायसेन तहसील हुजूर जिला रायसेन स्थाई निवासी-ग्राम पग्नेश्वर जिला रायसेन म.प्र.
3. सर्वसाधारण ...... उत्तरदातागण

अभिभाषक श्री. सुनील द्वारा आज दिनांक 16/5/2018 को पेश। अभिभाषक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

निगरानीकर्ता की ओर से निवेदन है कि -

निगरानी का संक्षिप्त विवरण

1. यह कि निगरानीकर्ता समाननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी रायसेन द्वारा अपील क्रमांक 18/अ/17-18 आदेश दिनांक 16/04/18 तथा नामांतरण पंजी क्र. 29ए क्षुब्ध दुखी व असंतुष्ट होकर ठोस तथ्यों के आधार पर यह निगरानी समाननीय न्यायालय के समक्ष सादर प्रस्तुत कर रहा है जिसमें निगरानीकर्ता को सफल होने की पूर्ण आशा है।

निगरानी के तथ्य

2. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि ख.क्रं. 293/2 रकबा 1.55 एकड़ लगान रुपये 3.67 को दिनांक 26/05/1992 को पुस्तक क्र. 1-अ, ग्रंथ क्र. 726 के पृ.क्र. 3 के 1-3 दस्तावेज क्र.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3882/2018/रायसेन/ Rev.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-3-2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	